रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार 9 जून, 1977/ज्येष्ठ 19, 1899

No. 186] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 1977/JYAISTHA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 9th June 1977

G S R. 273(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely.—

1 These rules may be called the Central Excise (13th Amendment) Rules, 1977.

2 In rule 173-A of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2), for the word, letter and figures "or E-IX", the letters, figures and word "E-IX, or E-XI" shall be substituted.

3 In rule 173-B of the said rules, in clause (b), for the word, letter and figures "and E-IX", the letters, figures and word "E-IX, and E-XI" shall be substituted.

4 In rule 173BC of the said rules,—

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

'(2) Where the value of the excisable goods manufactured by the assessee during the month or months of the first twelve months or the second

twelve months or the third twelve months during which he has paid duty in accordance with the provisions of rule 173RD—

(a) exceeds the value as determined in accordance with the formula "$(3/2)^n \times X$", where "n" represents the number of time the duty is redetermined, and "X" denotes the annual value, the duty liability of the assessee shall be redetermined by the proper officer, at each time the excess occurs, with effect from the month following the month in which such excess occurs and the duty so redetermined shall be the duty payable for the remaining months of the three-year bloc period in accordance with the provisions of rule 173RB, subject to the modification that the average annual quantity or value referred to in the said rule shall be based on the average quantity or value, as the case may be, of excisable goods removed during,—

(i) the last thirty-six months, or

(ii) twelve months,

including the month or months in which such excess occurs,

(b) exceeds the annual value by more than one hundred per cent thereof, and the value of such goods exceeds five lakhs of rupees, the permission granted under sub-rule (1) of rule 173RB shall cease on the last day of the month in which the excess occurs, and thereafter the duty on such goods shall be paid in accordance with the provisions of Chapter VIIA'

Explanation.—In this sub-rule, the expression

(a) "first twelve months" means the first twelve months for which the assessee discharged his duty liability under rule 173RD,

(b) "second twelve months" means the twelve months following the first twelve months, and

(c) "third twelve months" the remaining months of the three year bloc period.

(ii) in sub-rule (3), for the words, brackets and figures "except as provided in sub-rule (1) or sub-rule (2) of this rule", the words, figures, letter and brackets "except as provided in rule 10 or rule 10A or rule 11 or, in sub-rule (1) or sub-rule (2) of this rule" shall be substituted.

5. In rule 173RJ of the said rules,—

(i) in sub-rule (3), after the words "the proper officer, may,", the words "after giving him an opportunity for making a representation in the matter and" shall be inserted,

(ii) in sub-rule (4), for the words "the duty liability of such assessee shall cease", the words, figures and letters "the duty liability determined under rule 173RB shall, subject to the provisions of rule 173RF, cease" shall be substituted.

6. For rule 173RK of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"173RK. *Power to condone failure of the assessee to observe the provisions of this Chapter.*—

(1) Where an assessee fails to make in time an application for payment of duty in the manner provided for in rule 173RD after the commencement of the three year bloc period, the Collector may, on cause being shown by the assessee, permit such assessee to commence discharging his duty liability from the month following the month in which he makes such application

(2) Where an assessee fails to make any return or to discharge the duty liability within or at the time specified in this Chapter, the Collector may, on cause being shown by the assessee and payment of the amount of duty properly payable by him, condone such failure"

[No 104/77-C E]

KRISHNA KANT, Under Secy

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 9 जून, 1977

सा० का० नि० 273(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और सशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 इन नियमो का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (13वां सशोधन) नियम, 1977 है।

2 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-क मे (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), उपनियम (2) मे, "अथवा ई-9" शब्द, के अक्षर और अक के स्थान पर, "ई-9, या ई-11" अक्षर और, अक और शब्द रखे जाएगे।

3. उक्त नियमो के नियम 173-द में, खड (ज) मे, "और ई-9" शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर, "ई-9, और ई-11" अक्षर, अक और शब्द रखे जाएगे।

4. उक्त नियमों के नियम 173-दग में,—

(i) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) जहा कि प्रथम बारह मास या द्वितीय बारह मास या तृतीय बारह मास के या मासों के दौरान, जिसमें निर्धारिती ने नियम 173दघ के उपबधो के अनुसरण में शुल्क सदत्त किया है उसके द्वारा विनिर्मित उत्पाद-शुल्क माल का मूल्य—

(क) सूत्र "$(3.2)^n \times X$", के अनुसार अवधारित मूल्य से अधिक हो जाता है, जहा कि 'एन' समय के उतनी बार का सूचक है जब शुल्क पुन. अवधारित किया जाता है, और "X" वार्षिक मूल्य का सूचक है वहा, निर्धारिती का शुल्क दायित्व प्रत्येक बार, जब कि आधिक्य घटित होता है, समुचित अधिकारी द्वारा उस मास से पुन. अवधारित किया जाएगा जो उस मास के ठीक पश्चात् पडता है जिसमे उक्त आधिक्य होता है और इस प्रकार पुन अवधारित शुल्क त्रि-वर्ष-युग्म अवधि के शेष मासों के लिए नियम 173-दख के उपबधो के अनुसार सदैव शुल्क इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए होगा कि उप-नियम में निर्दिष्ट औसत वार्षिक मात्रा या मूल्य उस उत्पाद-शुल्क्य माल के, यथास्थिति, औसत मात्रा या मूल्य पर आधारित होगा जो—

(i) अन्तिम छत्तीस मासो के दौरान, अथवा

(ii) बारह मासो के दौरान,

जिसमें वह मास या वे मास भी सम्मिलित है, जिसमें उक्त आधिक्य होता है, हटाया गया हो।

(ख) वार्षिक मूल्य से उसके एक सौ प्रतिशत से अधिक है, और ऐसे माल का मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक हो जाता है, वहां नियम 173-दख के उपनियम (1) के अधीन दी गई अनुज्ञा उस मास के, जिसमे आधिक्य होता है, अन्तिम दिन को समाप्त हो

जाएगी और तत्पश्चात् ऐसे माल पर शुल्क अध्याय 7-क के उपबन्धो के अनुसार दिया जाएगा।"

स्पष्टीकरण —इस उपनियम मे निम्नलिखित पदो से अर्थात् .—

(क) "प्रथम बारह मास" से वे प्रथम बारह मास अभिप्रेत है जिनके लिये निर्धारिती ने नियम 173-दघ के अधीन अपने शुल्क दायित्व का निर्वहन किया हो,

(ख) "द्वितीय बारह मास" से अभिप्रेत है प्रथम बारह मास के ठीक बाद के बारह मास, और

(ग) "तृतीय बारह मास" से अभिप्रेत है त्रिवर्ष-युग्म-अवधि के शेष मास।

(ii) उपनियम (3) मे, "उपनियम (1) या उपनियम (2) मे उपबधित के सिवाए" शब्दो, कोष्ठको और अको के स्थान पर, "नियम या नियम 10क या नियम 11 या इस नियम के उपनियम (1) या उपनियम (2) मे उपबधित के सिवाए", शब्द, अक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएगे।

5. उक्त नियमो के नियम दछ में,—

(i) उपनियम (3) मे "समुचित अधिकारी" शब्दो के पश्चात्, "उसे उस मामले में अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् और" शब्द अन्त स्थापित किए जाएगे;

(ii) उपनियम (4) में, "ऐसे निर्धारिती का शुल्क दायित्व उस मास के अवसान पर समाप्त हो जायेगा" शब्दो के स्थान पर, "नियम 173 दछ के अधीन अवधारित शुल्क दायित्व, नियम 173 दच के उपबधो के अधीन रहते हुए, समाप्त हो जाएगा" शब्द, अक और अक्षर रखे जाएगे।

6. उक्त नियमों के नियम 173 दट के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्—

"173-दट इस अध्याय के उपबधो के अनुपालन मे निर्धारिती की चूक के लिए माफी देने की शक्ति—(1) जहां कि कोई निर्धारिती त्रिवर्ष-युग्म-अवधि के प्रारभ के पश्चात् नियम 173-दघ में दी गई रीति से शुल्क का सदाय करने के लिये आवेदन देने में चूक करता है वहा कलक्टर निर्धारिती द्वारा हेतुक दर्शित करने पर उस निर्धारिती को यह अनुज्ञा दे सकता है कि वह अपने शुल्क दायित्व का उस मास से निर्वहन करना प्रारंभ कर दे जो उस मास के ठीक बाद पड़ता है जिसमे वह ऐसा आवेदन करता है।

(2) जहा कि कोई निर्धारिती इस अध्याय मे विनिर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर की विवरण देने या शुल्क दायित्व निर्वहन करने में चूक करता है वहां कलक्टर निर्धारिती द्वारा हेतुक दर्शित करने पर और उसके द्वारा समुचित रूप से संदेय शुल्क की रकम का सदाय करने पर ऐसी चूक के लिए माफी दे सकती है।"।

[स० 104/77-के० उ० शु०]

कृष्णा कान्त, अवर सचिव।

मुद्रक प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977